सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 11, शुक्रवार, शाके 1944-सितम्बर 02, 2022
Bhadra 11, Friday , Saka 1944- September 02, 2022

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 01, 2022

संख्या प.2(23)नविवि/पाली/2018 :-राजस्व ग्राम पाली चक द्वितीय के खसरा संख्या 629 व 630 रकबा 249.12 बीघा भूमि, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.6(9)राज-6/96 पार्ट/39 जयपुर, दिनांक 08.12.20210 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलक्टर, पाली के आदेश दिनांक 05.04.2018 के द्वारा निर्धारित शर्तों पर नगर परिषद, पाली को हस्तान्तरित की गई थी। उक्त भूमि को नगरीय विकास विभाग के अ०शा० पत्रांक प2(23)नविवि/पाली/2018 जयपुर दिनांक 11.06.2018 के द्वारा नगर परिषद पाली से नगर विकास न्यास, पाली को हस्तान्तरित करने के निर्देशों के उपरान्त जिला कलक्टर, पाली के आदेश दिनांक 21.06.2018 के द्वारा नगर परिषद, पाली को किये गये हस्तान्तरण को निरस्त किया जाकर भूमि को नगर विकास न्यास, पाली को निर्धारित शर्तों के साथ हस्तान्तरण के आदेश जारी किये गये।

चूंकि स्वायत्त शासन विभाग के पत्रांक भूमि/एफ.7(ड)()डीएलबी/2020/1175 दिनांक 13.03.2020 के कम में उक्त भूमि पुनः नगर परिषद, पाली को स्थान्तरित की जानी है। अतः राज्य सरकार राजस्थान द्वारा नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 43(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खसरा संख्या 629 व 630 रकबा 249.12 बीघा भूमि नगर परिषद, पाली को हस्तान्तरित की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

अवधेश सिंह,
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।